



कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा।

विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 2389/एस0एल0एस0ए0-83/2025 (संदीप/त्र) दिनांकित जुलाई 30, 2025 के अनुक्रम में जनपद इटावा में मध्यस्थता कार्य हेतु इच्छुक आवेदकों के आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं।

क्र0सं0	पदनाम	पद की संख्या	वेतनमान/मानदेय	अर्हता
01	मध्यस्थ	21	निर्धारित मानदेय प्रत्येक वाद में समझौता सफल होने पर मुवलिग रु0 3000/- (रु0 तीन हजार मात्र) तथा पक्षकारों के तीन बैठक सत्र पूर्ण किये जाने पर 1500रु- (एक हजार पांच सौ रु0)।	न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्षों का कार्य अनुभव हो।

इच्छुक आवेदकगण अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 05/08/2025 को अपरान्हः 05:00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा में व्यक्तिगत रूप से/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

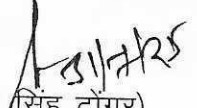
इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र की प्रति जनपद न्यायालय, इटावा की वेब-साइट (<https://district.ecourts.gov.in/etawah>) या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट (<http://www.allahabadhighcourt.in>) अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा से प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक 05/08/2025 को अपरान्ह 05:00 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 06/08/2025 को अपरान्ह 04:30 बजे से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में आयोजित होंगे।

दिनांक: 31/07/2025

संलग्नक: आवेदन का प्रारूप।

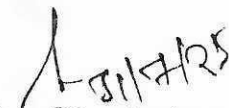

(रुपेन्द्र सिंह टोंगर)
अपर जिला जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा।

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय इटावा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, इटावा को इस आशय से प्रेषित कि वह कलेक्ट्रेट इटावा के सूचना पट पर चस्पा करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, इटावा को इस आशय से प्रेषित कि वह समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवाने का कष्ट करें।
- 4- केन्द्रीय नाजिर जजी इटावा को इस आशय से प्रेषित कि वह जनपद न्यायालय इटावा के सूचना पट पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
- 5- सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग इटावा को इस आशय से प्रेषित कि वह जनपद न्यायालय इटावा व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट एवं माननीय न्यायालय इटावा की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6-अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन व अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।
- 7- समस्त तहसीलदारों को इस आशय से प्रेषित कि वह विज्ञप्ति व आवेदन का प्रारूप कार्यालय तहसील के सूचना पट पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।

दिनांक: 31/07/2025

संलग्नक: आवेदन का प्रारूप।


(रुपेन्द्र सिंह टोंगर)
अपर जिला जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा

Office also for
needful.
mac
01/08/25

अनुसूची--एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।